

पत्रांक - मं०मं०-01/आर०-14/2008..... 861

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग, बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक 3/10/2019 2019

विषय - मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ संलेख प्रस्ताव भेजने के संबंध में।

महाशय/महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ संलेख प्रस्ताव भेजने के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्रांक-805, दिनांक-17.06.2016 के द्वारा दिया गया दिशा निर्देश निम्नांकित है :-

1. "(iv) संलेख की 3 (तीन) मूल हस्ताक्षरित प्रतियाँ तथा 45 (पैंतालीस) अतिरिक्त छायाप्रतियाँ अलग फोल्डर में संलग्न रहनी चाहिए। एक मूल प्रति विभाग की संचिका में रहनी चाहिए।"

वर्तमान में मंत्रिपरिषद् का विस्तार होने के फलस्वरूप संलेख की अतिरिक्त प्रतियों की आवश्यकता महसूस हो रही है।

अतः मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ संलेख की 3 (तीन) मूल हस्ताक्षरित प्रतियाँ तथा 50 (पचास) अतिरिक्त छायाप्रतियाँ अलग फोल्डर में उपलब्ध कराने की कृपा करें।

विश्वासभाजन



(संजय कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव